भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1104

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**अनुसूचित जनजाति वर्गों के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास**

1104. श्री आयनुर मंजूनाथाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनुसूचित जनजाति वर्गों के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास योजनाओं और तत्संबंधी आबंटित निधियां का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा संचालित किए जा रहे कामकाजी महिला छात्रावास, विद्यार्थी छात्रावास और आश्रम विद्यालयों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) : मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों की योजना का विवरण निम्नलिखित दिया गया है:-

योजना के अंतर्गत, नए छात्रावास भवन के निर्माण तथा/अथवा वर्तमान छात्रावास के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित) में सभी बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए तथा बालक छात्रावासों के निर्माण के लिए भी 100 प्रतिशत केंद्रीय अंश के पात्र हैं। राज्य सरकारों को अन्य बालक छात्रावास के लिए निधियन की पद्धति 50:50 के आधार पर है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केंद्र सरकार बालक तथा बालिका दोनों के छात्रावासों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) के लिए छात्रावासों को अन्य छात्रावासों के मानदंड के समान निधि प्रदान की जाती है। संसद सदस्य इस उद्देश्य के लिए अपने एमपीएलएडी से राज्य अंश के स्थानापन्न के रुप में निधियां प्रदान कर सकते हैं। छात्रावासों का रख-रखाव एवं संचालन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। छात्रावास माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए हो सकते हैं। “अनुसूचित जनजाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास” की योजना के तहत चालू वर्ष तथा प्रत्येक गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियां **अनुलग्नक-।** पर है। छात्रावासों की स्थापना को भी संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुमोदित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत छात्रावास **अनुलग्नक-।।** पर हैं।

(ख) तथा (ग) : छात्रावासों की राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा ये मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण के अध्यधीन भी है। साथ-साथ स्वतंत्र वाह्य एजेंसियों के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। यदि कोई कमी होती है तो एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों को आगे के अनुदान जारी करने से पहले उन्हें दूर करने की आवश्यकता होती है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-I**

**दिनांक 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1104 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक (27.07.2015 तक)**

(लाख रु. में)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 279.81 | 846.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | गुजरात | 187.06 | 939.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 380.47 | 0.00 |
| 4 | केरल | 0.00 | 553.45 | 1349.63 | 0.00 |
| 5 | मध्यप्रदेश | 2291.57 | 0.00 | 1305.00 | 0.00 |
| 6 | मिजोरम | 0.00 | 2289.44 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 1031.00 | 0.00 |
| 8 | नागालैण्ड | 0.00 | 810.95 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ओडिशा | 1697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | राजस्थान | 1500.00 | 2646.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | सिक्किम | 460.29 | 0.00 | 460.29 | 0.00 |
| 12 | तमिलनाडु | 0.00 | 112.73 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | त्रिपुरा | 883.77 | 1906.01 | 1797.62 | 0.00 |
| **विश्वविद्यालय** | | | | | |
| 14 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी | 0.00 | 0.00 | 304.99 | 0.00 |
| 15 | मिजोरम विश्वविद्यालय | 437.08 | 0.00 | 195.01 | 0.00 |
|  | **कुल** | **7737.08** | **10105.51** | **6824.01** | **0.0** |

**अनुलग्नक-II**

**श्री आयनुर मंजूनाथा द्वारा दिनांक 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1104 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक (27.07.2015 तक)**

(लाख रु. में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं. | राज्य | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | |
| स्वीकृत छात्रावासों की सं. | जारी निधियां | स्वीकृत छात्रावासों की सं. | जारी निधियां | स्वीकृत छात्रावासों की सं. | जारी निधियां | स्वीकृत छात्रावासों की सं. | जारी निधियां\* |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश |  |  |  |  | 4 | 800.00 | 10 | 250.00 |
| 2. | बिहार |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 0.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ |  |  | 1 | 133.77 | 13 | 2645.67 | 13 | 4668.11 |
| 4. | गुजरात |  |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश |  |  |  |  | 1 | 100.00 |  | 0.00 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर |  |  | 1 | 101.00 |  |  |  | 0.00 |
| 7. | झारखण्ड |  |  | 6 | 322.00 | 25 | 2000.00 | 16 | 4127.00 |
| 8. | कर्नाटक |  |  |  |  |  |  | 10 | 1000.00 |
| 9. | केरल |  |  |  |  | 1 | 250.00 |  | 0.00 |
| 10. | मध्यप्रदेश |  |  |  |  | 20 | 4000.00 |  | 0.00 |
| 11. | महाराष्ट्र |  |  |  |  | 7 | 1600.00 |  | 3593.62 |
| 12. | मेघालय |  |  |  |  | 2 | 190.00 |  | 0.00 |
| 13. | मणिपुर |  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 |
| 14. | मिजोरम |  |  |  |  | 3 | 574.70 |  | 0.00 |
| 15. | नागालैण्ड |  |  |  |  | 5 | 300.00 | 10 | 250.00 |
| 16. | ओडिशा |  |  |  |  | 1 | 500.00 |  | 149.00 |
| 17. | राजस्थान | 1 | 250.00 | 4 | 450.00 | 19 | 3132.00 |  | 1260.00 |
| 18. | सिक्किम |  |  |  |  | 3 | 261.25 |  | 50.00 |
| 19. | तेलंगाना |  |  |  |  | 2 | 126.00 |  | 0.00 |
| 20. | उत्तरप्रदेश |  |  |  |  | 1 | 222.94 |  | 0.00 |
| 21. | उत्तराखण्ड |  |  |  |  | 1 | 75.00 | 1 | 200.00 |
| 22. | पश्चिम बंगाल |  |  |  |  | 1 | 600.00 | 10 | 1966.90 |
| कुल | | **1** | **250.00** | **4** | **450.00** | **66** | **11831.89** | **72** | **18584.63** |

**\*छात्रावासों के लिए 2015-16 के दौरान जारी निधियों में पिछले वर्षों की, वर्तमान छात्रावासों के विस्तार/उन्नयन तथा नए छात्रावासों की प्रतिबद्धदेयता शामिल हैं।**